न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 163/2014

बालूराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

–रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 72 राज. भू–राज. अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 18.08.2007

उपस्थितिः–

श्री राजवीर भादू अभिभाषक अपीलांट

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 16.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष चक मोकलसर के ख.नं. 222/17 की 34 बीघा भूमि के आवंटन का प्रा. पत्र पेश करने पर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 18.08.2007 को पत्रावली आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश हुई एवं इस दिनांक को उक्त भूमि में 7.157 है. भूमि का आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया एवं शेष 1.445 है. भूमि की टी.सी. खारिज करते हुए अधिशेष घोषित करने के आदेश दिये गये। अधिशेष की गई भूमि की सीमा तक अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

16/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा जो भूमि अधिशेष घोषित की है वह सही नहीं है। अपीलांट को कुल 34 बीघा भूमि अस्थाई काश्त पर आवंटित थी जिसे वह पुख्ता आवंटन करवाने का अधिकारी था किन्तु अधी. न्यायालय ने 7.157है0 भूमि आवंटित की है शेष 1.445है0 अधिशेष घोषित करने के जो आदेश दिये हैं वह उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। देरी बाबत समुचित कारण अंकित नहीं किये हैं। अपीलांट जितनी भूमि के आवंटन की पात्रता रखता था उतनी भूमि आवंटन कर दी है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 18.08.2007 के विरूद्ध दिनांक 24.09.2014 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य पेश किये हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन के पश्चात Alarming तथ्य सामने आया है कि अपील में 1.445है0 भूमि अधिशेष मानी जाकर अनुतोष चाहा है जबकि

16/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का न ही अवलोकन किया न ही अध्ययन किया तथा आवंटन अधिकारी द्वारा भी गणना में भारी भूल की है।

अपीलांट बालूराम द्वारा रोही मोकलसर के ख.नं. 222/7 में 34 बीघा (8.602है0) भूमि को पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र दिया जो "The Rajasthan colonisation(Allotment and sale of Government land in Indira Gandhi Canal Colony area rules 1975 के नियम 5(2) अनुसार 25 बीघा तक आवंटन की जा सकती है परन्तु इस 25 बीघा में उसके द्वारा भारत के किसी कोने में धारित स्वयं खातेदारी भूमि भी शामिल होगी सन्दर्भ प्रावधान की Bare reading है कि "5 Eligibilty and Extent of Allotment:- (1) The following persons shall be eligible for allotment of Government land for agricultural purposes under these rules namely:-

(i) Agriculture Graduates, (ii) Landless persons, and

(iii) Bhakra landless persons (iv) Ex- Serviceman

(v) Beneficiary of the integrated Rural Development Programme.

(2) Each such person may be allotted Government land upto 25 bighas (6.32 hectares):

Provided that if such person holds any land anywhere in india, he will be allotted only so much Government land as together with his existing holding does not exceed 25 bighas."

पटवारी हल्का मोकलसर की रिपोर्ट अधी. न्यायालय की पत्रावली की पृष्ठ सं. 6 अनुसार स्वयं के नाम 5.493 है0 भूमि होना

16/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दर्शाया है जो नियम 5(2) के अनुसार अधिकतम 25 (6.324है0) बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन हो सकता था जिसमें स्वयं की धारित भूमि शामिल होगी जो आवंटन अधिकारी ने गणना में भूल की है। तहसीलदार भू.अ. सूरतगढ द्वारा खातेदारी अधिकार पत्र क्रमांक भू.अ. /खातेदारी/08/982 दिनांक 01.08.2008 द्वारा भी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में भी 7.157है0 के खातेदारी अधिकार प्रदान किये है जबकि इन नियमों के नियम 12 में स्पष्ट प्रावधान है कि अधिकतम 4 है0 भूमि आवंटन की जा सकती है उसमें भी उसकी धारित भूमि शामिल होगी। नियम 12 की Bare reading है कि " Rule 12. [Extent of Allotment - Except as otherwise provided in these rules the extent of the land to be allotted] shall not be more than [4 hectares] subject to the condition that, in no case, the total area to be allotted under these rules, together with the area already held by the allottee or his notional share if the land is held by other members of the joint family, shall exceed [4 hectares]. No allotment in favour of a minor shall be made except in cases covered by R. 11(a). As far as possible the land to he allotted will not be less than [2 hectares] of unirrigated land."

राजस्थान भू–राजस्व (सर्वेक्षण, अभिलेख व भू–प्रबन्ध (सरकार) नियम 1957 के नियम 5 की मानक चैन की परिवर्तन तालिका 3.5 में 165 फिट की लम्बाई की जरीब का बीघा 165X165= 3025 वर्गगज का होकर श्रीगंगानगर जिले में प्रचलित की परिवर्तन सारणी अनुसार बीघों को हेक्टर में परिवर्तन करने का फार्मूला दिया हुआ है जिसके अनुसार

16/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बीघा	वर्गमीटर	हैक्टेयर
1	2529.28	0.253
2	5058.56	0.506
3	7587.84	0.759
4	10117.11	1.012
5	12646.39	1.265
10	25292.79	2.529
20	50585.57	5.059
30	75878.40	7.588

अपीलांट द्वारा 34 बीघा 8.602है0 भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पेश किया जो उसके कब्जा में थी जो अपीलांट के पास कोई holding नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त सांरणी अनुसार 25 बीघा की पात्रता बनती है।

20 बीघा = 5.059 हैक्टर
5 बीघा = 1.265 हेक्टर'

25 बीघा = 6.324 हैक्टर

25 बीघा = 6.324 हैक्टर पात्रता बनती है जो 8.602है0 – 6.324 है0 =2.278 है0 अधिशेष भूमि बनती है परन्तु अपीलांट के स्वयं के नाम 5.493 है0 भूमि उसकी खातेदारी में होना पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अतः P.C. आवंटन की कुल पात्रता 6.32 है0 – धारित भूमि 5.493 है0 खातेदारी = 0.831 है0 बनती है। अतः किया गया P.C. आवंटन 7.157 है0 नियम विरूद्ध होकर अपीलांट के कब्जे की भूमि 8.602 है0 – P.C. आवंटन की पात्रता 0.831 है0 भूमि छोड़कर शेष 7.771 है0 अधिशेष भूमि होना रेकार्ड से साबित है।

16/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतः 7.771 हैक्टर भूमि अधिशेष रकबा राज घोषित किया जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि रोही मोजा मोकलसर के ख.न. 222/6 के रकबा 8.602 है0 में से अधिशेष घोषित रकबा 7.771 है0 भूमि अधिशेष भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक दर्ज कर कब्जा राज ली जाये। इस सम्बन्ध में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर किसी एक कौने से पैमाईश करवा कर अपीलांट को 0.831 है0 भूमि उसके कब्जे में रखते हुए शेष भूमि राजकीय कब्जे में लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिन में इस न्यायालय में पेश करे साथ ही अपीलांट को उसकी पात्रता से अधिक आवंटन अधिकारी (उपखंड अधिकारी) का नाम व खातेदारी देने वाले अधिकारी तहसीलदार का नाम भी तहसीलदार सूरतगढ़ भिजवाये संभव होते उनके वर्तमान पदस्थापन पते सेवा निवृति की स्थिति में घर के पते भी भिजवायें जिससे उनका स्पष्टीकरण लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जाये, तहसीलदार सूरतगढ से 7.771 है0 अधिशेष घोषित भूमि की रकबा राज , कब्जा राज की रिपोर्ट एवं सम्बन्धित तहसीलदार व उपखंड अधिकारी के वर्तमान नाम पतों की सूचना तलब होकर पत्रावली दिनांक 22.11.2017 को पेश हो। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ एवं तहसीलदार सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर